

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/नि0सं0-38-10/2024

पटना, दिनांक—

श्रीमती संगीता कुमारी, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), दानापुर अंचल-1, दानापुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-22.11.2024 से 12.12.2024 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (195-21=174) (एक सौ चौहत्तर) दिन का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

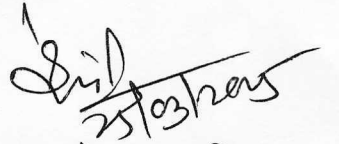
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/—

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/नि0सं0-38-10/2024 1473

पटना, दिनांक—26/03/25

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दानापुर अंचल-1, दानापुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती संगीता कुमारी, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), दानापुर अंचल-1, दानापुर को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।